NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-11-2026

विषय सूची

मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक

भारत–मिस्र संबंध: 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के 10 वर्ष

भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता

संक्षिप्त समाचार

- जनजातीय गौरव दिवस 2026
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद में भारत पुनः निर्वाचित
- वॉयजर-1
- अर्थशॉट पुरस्कार 2026
- राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस

मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक

संदर्भ

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के अवसर पर मनीला में आयोजित क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई पहलों की घोषणा की गई।

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD)

- यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय समूह है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **उत्पत्ति:** वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के पश्चात क्वाड की शुरुआत एक अनौपचारिक साझेदारी के रूप में हुई। उस समय चारों देशों ने प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए मिलकर कार्य किया था।
  - वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक स्वरूप प्रदान किया, लेकिन इसके बाद यह समूह निष्क्रिय हो गया।
- एक दशक बाद, वर्ष 2017 में मनीला में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर इसे पुनर्जीवित किया गया। यह कदम क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता था।
- **संस्थागत विकास:** वर्ष 2017 में पुनः सक्रिय होने के बाद क्वाड ने वर्ष 2019 में विदेश मंत्रियों के स्तर पर अपनी भागीदारी को उन्नत किया तथा वर्ष 2021 में इसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।

क्वाड शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **क्वाड सुपरइंटेलिजेंस (SI) एक्सेलेरेटर:** क्वाड ने एक नई पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तक पहुँच, उसके उपयोग और तकनीकी सहायता से संबंधित प्रयासों का समन्वय एवं वित्तपोषण करना है।
  - अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय सुपरइंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच का विस्तार करने के लिए 85 मिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की।
- **हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग:** सूचना के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) को सुदृढ़ करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई।
  - वर्ष 2027 में सदस्य देशों के P-8 एवं P-3C समुद्री गश्ती विमानों के प्रथम बार क्वाड के अंतर्गत आयोजित समुद्री अभ्यास में भाग लेने का कार्यक्रम है।
- **क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम:** क्वाड का प्रथम बिजनेस लीडर्स फोरम वर्ष 2027 की शुरुआत में मुंबई में आयोजित किया जाएगा।
- **साइबर सुरक्षा सहयोग:** साइबर घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और व्यापकता को देखते हुए क्वाड ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने की घोषणा की।

भारत के लिए क्वाड का महत्त्व

- **रणनीतिक संतुलन:** क्वाड भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य एवं रणनीतिक उपस्थिति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे भारत को किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए बिना रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है।
- **समुद्री सुरक्षा:** यह भारत की समुद्री पड़ोस पर निगरानी रखने तथा महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता को सुदृढ़ करता है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र, मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की दृष्टि से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **आर्थिक सुदृढ़ता:** क्वाड आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है तथा किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में सहायक है।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** यह भारत के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्राप्त करने और घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करने के नए अवसर उपलब्ध कराता है।
  - भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और तीव्रता से विकसित हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत क्वाड साझेदार देशों के सहयोग से लाभ मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन:** यह मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) के लिए समन्वित प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
  - वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान क्वाड देशों के सहयोग ने समन्वित आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और महत्त्व को रेखांकित किया था।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** क्वाड में भारत की भागीदारी पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहन संपर्क स्थापित करने तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देती है।

क्वाड के समक्ष चुनौतियाँ

- **रणनीतिक हितों में भिन्नता:** भारत रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है, जबकि अन्य सदस्य देशों की औपचारिक सैन्य गठबंधनों के प्रति अधिक प्रतिबद्धताएँ हैं।
- **चीन का विरोध:** चीन क्वाड को अपने क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने के प्रयास के रूप में देखता है, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका उत्पन्न होती है।
- **आर्थिक परस्पर निर्भरता:** सदस्य देश अभी भी चीन के साथ व्यापक आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं, जिससे रणनीतिक निर्भरता कम करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- **संस्थागत स्वरूप का अभाव:** स्थायी सचिवालय और बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की अनुपस्थिति समूह की निरंतरता तथा पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती है।
- **अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएँ:** अमेरिकी विदेश नीति में होने वाले बदलाव क्वाड की दीर्घकालिक दिशा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह

- क्वाड को समुद्री सुरक्षा तक सीमित रहने के बजाय आर्थिक सुदृढ़ता, प्रौद्योगिकीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के व्यापक मंच के रूप में विकसित होना चाहिए।
- भारत को रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने तथा एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस साझेदारी का प्रभावी उपयोग करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, साझा सुरक्षा एवं विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत को एक विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार के रूप में अपनी भूमिका और अधिक सुदृढ़ करनी चाहिए।

स्रोत: IE

भारत–मिस्र संबंध: 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

समाचारों में

- भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की 7वीं बैठक मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई। यह संयुक्त व्यापार समिति की पहली मंत्री-स्तरीय बैठक थी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना था।

प्रमुख परिणाम

- **द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने के अपने लक्ष्य की पुनः पुष्टि की।
- **प्रस्तावित व्यापार समझौता:** दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुँच और निवेश के अवसरों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संभावित अधिमान्य व्यापार समझौते अथवा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **निवेश सहयोग:** मिस्र में भारतीय निवेश 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  - निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में औषधि, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं।
  - मिस्र का स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र भारतीय व्यवसायों को अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- **भारत द्वारा प्रस्तावित चार सूत्रीय कार्यसूची:** व्यापार संबंधी बाधाओं का निर्धारित समय-सीमा के अंदर समाधान।
  - भारत के औद्योगिक समूहों में मिस्र के निवेश को प्रोत्साहन।
  - छोटे व्यवसायों को आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना।
  - प्रगति की वार्षिक समीक्षा करना।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** दोनों देशों ने संरक्षण, संग्रहालयीय सामग्री के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण तथा डिजिटलीकरण के क्षेत्र में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के प्रस्तावित 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखा।

भारत–मिस्र संबंधों का संक्षिप्त परिचय

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत और मिस्र विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल हैं तथा इनके बीच प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क रहे हैं।
  - भारत और मिस्र वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य थे।
  - दोनों देशों ने वर्ष 1955 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो उनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों को दर्शाती है।

रणनीतिक साझेदारी

- जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी जनवरी 2023 में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।
- इस साझेदारी में राजनीतिक सहयोग, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **A. आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:** वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रसायन, सूती धागे और औषधियाँ शामिल हैं।
  - मिस्र से भारत के प्रमुख आयातों में पेट्रोलियम उत्पाद, अकार्बनिक रसायन और खट्टे फल शामिल हैं।
  - मिस्र में भारतीय निवेश 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारतीय कंपनियाँ रसायन, वस्त्र, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
  - स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) भारतीय व्यवसायों को अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- **B. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग के अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा विनिर्माण तथा सैन्य प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान शामिल है।
  - **अभ्यास साइक्लोन :** भारत और मिस्र की विशेष बल इकाइयों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास।
  - **अभ्यास ब्राइट स्टार :** मिस्र द्वारा आयोजित बहुपक्षीय त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास, जिसमें भारत भी भाग लेता रहा है।
    - दोनों देश आतंकवाद-रोधी प्रयासों और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं।
- **C. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, औषधि, स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
  - दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
  - भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के अनुभव के माध्यम से मिस्र के डिजिटल रूपांतरण में सहयोग प्रदान कर सकता है।
- **D. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध:** दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध विद्यमान हैं।
  - सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
  - ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच प्रस्तावित सहयोग सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।

भारत के लिए मिस्र का रणनीतिक महत्त्व

- **अफ्रीका का प्रवेश द्वार:** मिस्र भारत को उत्तरी अफ्रीका तथा व्यापक अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- **रणनीतिक भौगोलिक स्थिति:** स्वेज नहर के माध्यम से यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **पश्चिम एशिया के साथ जुड़ाव:** मिस्र एक प्रभावशाली अरब देश है और पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।
- **समुद्री सुरक्षा:** मिस्र के साथ सहयोग लाल सागर, अदन की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों को समर्थन प्रदान करता है।
- **वैश्विक दक्षिण में सहयोग:** दोनों देशों के हित वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने तथा विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाने के संदर्भ में समान हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन एवं बाधाएँ:** बाजार तक पहुँच, नियामकीय आवश्यकताओं और गैर-शुल्क बाधाओं में अंतर द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करता है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** गाजा, सूडान और व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष सुरक्षा एवं आर्थिक अनिश्चितताएँ उत्पन्न करते हैं।
- **आर्थिक सीमाएँ:** मिस्र में विदेशी मुद्रा संबंधी दबाव और आर्थिक चुनौतियाँ व्यापार एवं निवेश को प्रभावित कर सकती हैं।

- **सीमित विविधीकरण:** द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित करने की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं।
- **संपर्क एवं परिवहन संबंधी बाधाएँ:** रसद व्यवस्था, शिपिंग लागत और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान वाणिज्यिक आदान-प्रदान को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- आर्थिक लाभों का आकलन करने के पश्चात पारस्परिक रूप से लाभकारी अधिमान्य व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) अथवा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के ढाँचे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- बाजार तक पहुँच को बेहतर बनाया जाए तथा गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान किया जाए।
- हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाए।
- लाल सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग को सुदृढ़ किया जाए।
- सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और जन-स्तरीय संपर्कों को प्रोत्साहित किया जाए।

स्रोत: PIB

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के 10 वर्ष

संदर्भ

- फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के 10 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इसके कमजोर क्रियान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के बारे में

- RERA का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र का कुशल एवं पारदर्शी तरीके से विनियमन और संवर्धन करना तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
- **परियोजनाओं का पंजीकरण:** यह अधिनियम किसी भी विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा बिक्री से पहले रियल एस्टेट परियोजनाओं का विनियामक प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण अनिवार्य करता है।
  - इस प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, प्रवर्तक पर विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रियल एस्टेट परियोजना की अनुमानित लागत के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) तथा रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **वित्तीय जवाबदेही:** इसके तहत प्रवर्तकों के लिए घर खरीदारों से प्राप्त राशि का 70% एक अलग बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल भूमि की लागत और परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- **प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ:** यह प्रवर्तकों के लिए परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों का प्रकटीकरण करना भी अनिवार्य करता है।
- **त्वरित विवाद निपटान:** RERA में विवादों के त्वरित निपटान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मामलों का निपटारा 60 दिनों के अंदर किया जाना अपेक्षित है।

RERA के क्रियान्वयन से संबंधित चिंताएँ

- **राज्यों में असमान क्रियान्वयन**: राज्य RERA के नियमों तथा संस्थागत क्षमता में अंतर के कारण घर खरीदारों के अधिकारों का प्रवर्तन असंगत रहा है।
- **कमजोर संस्थागत क्षमता:** विनियामक प्राधिकरणों, अपीलीय अधिकरणों तथा निर्णयन अधिकारियों के पद रिक्त रहने से शिकायतों के निवारण में विलंब होता है।
- **विवादों के निपटान में लंबा समय:** धनवापसी अथवा मुआवजा प्राप्त करने के लिए घर खरीदारों को अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
- **सीमित वित्तीय संरक्षण:** वर्तमान व्यवस्था उन परिस्थितियों का पर्याप्त समाधान नहीं करती, जिनमें खरीदार व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं और उन्हें किसी परियोजना से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है।

फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) द्वारा सुझाए गए सुधार

- **उपभोक्ता संरक्षण को क्षेत्रीय संवर्धन से अलग करना:** रियल एस्टेट क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास का दायित्व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अधीन बनाए रखना।

- घर खरीदारों के संरक्षण का दायित्व उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित करना, ताकि उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जा सके।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भाँति पर रियल एस्टेट के लिए एक राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना करना।

- **वैधानिक निकास विकल्प:** रोजगार छूटने अथवा परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु जैसी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण घर खरीदारों को परियोजनाओं से बाहर निकलने की अनुमति देना।
- **आवंटितियों को स्वतः मुआवजा:** परियोजनाओं में विलंब अथवा कमियों की स्थिति में प्रत्येक खरीदार द्वारा अलग-अलग शिकायत दर्ज कराए जाने की अनिवार्यता के बिना सभी प्रभावित घर खरीदारों को मुआवजा प्रदान करना।
  - प्रवर्तकों के लिए प्रभावित आवंटितियों की सूची RERA को प्रस्तुत करना अनिवार्य करना, ताकि मुआवजे का प्रत्यक्ष वितरण किया जा सके।
  - विक्रय अनुबंध को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना: विक्रय अनुबंध (AFS) की रूपरेखा मुख्यतः राज्य-स्तरीय नियमों पर छोड़ने के बजाय इसे RERA अधिनियम की एक अनुसूची में शामिल करना।
  - इससे डेवलपर्स को ऐसे एकतरफा प्रावधान शामिल करने से रोका जा सकेगा, जो घर खरीदारों को प्राप्त संविदात्मक संरक्षण को कमजोर करते हैं।
- **RERA प्राधिकरणों की जवाबदेही:** राज्य RERA प्राधिकरणों का समय-समय पर लेखा-परीक्षण तथा उनके आदेशों की स्वतंत्र समीक्षा सुनिश्चित करना।
  - पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और विनियामक कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए लेखा-परीक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक करना।

आगे की राह

- RERA को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, कानूनों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना तथा डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- राज्यों में विनियामक मानकों में एकरूपता स्थापित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने से शिकायतों का सुलभ एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- अंततः, RERA को केवल परियोजनाओं के पंजीकरण तक सीमित रहने के बजाय समय पर नियन्त्रण दिलाने, निष्पक्ष संविदात्मक प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा घर खरीदारों के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs)

- REITs म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएँ हैं, जो अनेक व्यक्तिगत निवेशकों से छोटी-छोटी धनराशियाँ एकत्रित करके रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करती हैं। ये संस्थाएँ इस एकत्रित धनराशि का प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश करती हैं तथा व्यय घटाने के बाद प्राप्त आय का एक हिस्सा REITs की यूनिटों के धारकों को वितरित करती हैं।
- REITs का विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) विनियम, 2014 के तहत किया जाता है।
- REIT वाणिज्यिक रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशेष प्रयोजन माध्यमों (SPVs) के जरिए निवेश कर सकता है। ऐसे SPVs अपनी कुल परिसंपत्तियों का 80% से अधिक हिस्सा संपत्तियों में निवेश करते हैं।

स्रोत: IE

भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता

संदर्भ

- उपग्रह-आधारित सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता ने अंतरिक्ष सुरक्षा को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक बना दिया है।

अंतरिक्ष में उभरता खतरा परिदृश्य

- **उपग्रह-रोधी (ASAT) प्रणाली :** प्रत्यक्ष आरोही मिसाइलों अथवा अन्य गतिज प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपग्रहों को भौतिक रूप से नष्ट करना।
- **जैमिंग :** संचार एवं नेविगेशन सेवाओं को बाधित करने के उद्देश्य से उपग्रह संकेतों में जानबूझकर हस्तक्षेप करना।
  - संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर यूक्रेन और बाल्टिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में GPS जैमिंग एवं संकेतों में हस्तक्षेप की घटनाएँ सामने आई हैं।
- **स्पूफिंग :** उपग्रह-आधारित नेविगेशन एवं स्थिति निर्धारण प्रणालियों को गुमराह करने के लिए झूठे संकेत प्रसारित करना।
  - काला सागर और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में जहाजों एवं विमानों को प्रभावित करने वाली वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) की स्पूफिंग संबंधी घटनाएँ सामने आई हैं।

- **साइबर आक्रमण:** परिचालन को बाधित करने अथवा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से उपग्रह नेटवर्क, भू-आधारित केंद्रों तथा संबंधित अवसंरचना को निशाना बनाना।
  - वर्ष 2022 में वायासैट (Viasat) के KA-SAT नेटवर्क पर हुए साइबर हमले से यूक्रेन में उपग्रह इंटरनेट सेवाएँ बाधित हुईं तथा कई यूरोपीय देशों के उपयोगकर्ता प्रभावित हुए।
- **अंतरिक्ष मलबा:** कक्षा में बढ़ती भीड़ और अंतरिक्ष मलबे के कारण टकराव तथा कार्यरत उपग्रहों को क्षति पहुँचने का जोखिम बढ़ रहा है।
  - वर्ष 2009 में इरिडियम-33 और कॉसमॉस-2251 उपग्रहों के बीच हुई टक्कर से हजारों ऐसे मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए, जिनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता था।

भारत को अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है?

- **अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर बढ़ती निर्भरता:** उपग्रह रक्षा अभियानों, बैंकिंग, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि तथा आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण:** NavIC स्थिति निर्धारण एवं समय संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है, जबकि INSAT-3D/3DR उपग्रह मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनियाँ जारी करने में सहायता करते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** अंतरिक्ष-आधारित संचार एवं निगरानी सैन्य समन्वय और परिस्थितिजन्य जागरूकता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष अवसंरचना के संरक्षण हेतु समन्वित सुरक्षा मानकों एवं तंत्रों की आवश्यकता है।
- आकस्मिक हस्तक्षेप और जानबूझकर की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के बीच अंतर स्पष्ट करने तथा उचित प्रतिक्रियाएँ निर्धारित करने के लिए स्पष्ट सिद्धांत आवश्यक हैं।
- स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं का संरक्षण भू-राजनीतिक तनाव के दौरान विदेशी उपग्रह सेवाओं पर निर्भरता को कम करता है।

अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भारत का मौजूदा ढाँचा

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रूपरेखा स्थापित करती है तथा निर्धारित संस्थागत उत्तरदायित्वों के माध्यम से निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA):** यह अंतरिक्ष से संबंधित रक्षा आवश्यकताओं के समन्वय तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए क्षमताओं के विकास का कार्य करती है।
- **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO):** यह अंतरिक्ष से संबंधित रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- **मिशन शक्ति (2019):** इसने भारत की स्वदेशी उपग्रह-रोधी (ASAT) क्षमता का प्रदर्शन किया।
- **भारतीय अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता रिपोर्ट (ISSAR):** यह ISRO द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों, कक्षीय जोखिमों, निकट पहुँच की घटनाओं तथा अंतरिक्ष मलबे के शमन संबंधी उपायों का वार्षिक आकलन है।
- **NETRA परियोजना:** ISRO का अंतरिक्ष वस्तु निगरानी एवं विश्लेषण नेटवर्क भारत की अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
- **ISRO सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM):** यह भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष स्थिरता एवं अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है।

व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत के प्रमुख घटक

- शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप के विभिन्न स्वरूपों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
  - अमेरिकी अंतरिक्ष बल द्वारा किए गए प्रतिअंतरिक्ष खतरा आकलन में खतरों को गतिज, गैर-गतिज, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की पहचान के लिए स्पष्ट सीमाएँ, उत्तरदायित्व निर्धारित करने के मानदंड तथा आनुपातिक प्रतिक्रिया के विकल्प तय किए जाने चाहिए।
- **अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता (SSA):** भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के समक्ष उपस्थित खतरों की पहचान करने के लिए स्वदेशी निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- बाधित अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रतिस्थापन उपग्रहों तथा वैकल्पिक अवसंरचना के माध्यम से पुनः पुनर्स्थापित करने की क्षमता सुनिश्चित करना।
  - ISRO की लघु उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताएँ तथा स्काईरूट और अग्निकुल जैसी निजी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनियों का विकास प्रतिस्थापन उपग्रहों के त्वरित प्रक्षेपण एवं तैनाती में योगदान दे सकता है।
- अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा बाह्य अंतरिक्ष में संघर्षों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना।

अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- साइबर हमलों, जैमिंग और स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करना तकनीकी रूप से कठिन है।

- मौजूदा अंतरराष्ट्रीय समझौते उभरते खतरों, विशेषकर गैर-गतिज हस्तक्षेप, को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करते हैं।
  - बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन पारंपरिक उपग्रह-रोधी हथियारों अथवा उपग्रह जैमिंग पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाती है।
- हस्तक्षेप की गलत व्याख्या अथवा आवश्यकता से अधिक कठोर प्रतिक्रिया से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।
  - रूस द्वारा वर्ष 2021 में किए गए ASAT परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा अन्य कार्यरत उपग्रहों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी थीं।
- प्रौद्योगिकी की दोहरे उपयोग वाली प्रकृति: समान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिक एवं सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे खतरों का आकलन करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- भारत को एक व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत तैयार करना चाहिए, जिसमें खतरों, प्रतिक्रिया संबंधी सीमाओं तथा संस्थागत उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।
- इसमें स्वदेशी क्षमताओं, सुदृढ़ अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता तथा त्वरित पुनर्बहाली तंत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष प्रणालियों की आघात-सहनीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सरकारों, रक्षा एजेंसियों तथा निजी संचालकों को मिलकर कार्य करना होगा। साथ ही, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

जनजातीय गौरव दिवस 2026

समाचारों में

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया।

जनजातीय गौरव दिवस

- 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
  - इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी।
- यह एक राष्ट्रीय आयोजन है, जो जनजातीय समुदाय के गौरव तथा भगवान बिरसा मुंडा से प्राप्त प्रेरणा से जुड़ा हुआ है।

बिरसा मुंडा

- वे एक आध्यात्मिक सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म वर्ष 1874 में झारखंड के उलिहातू गाँव में हुआ था।
- उन्होंने उलगुलान अथवा 'महान कोलाहल' (1899–1900) का नेतृत्व किया। यह जनजातीय स्वशासन तथा खुंटकट्टी (सामुदायिक भूमि अधिकारों) की पुनर्स्थापना के लिए एक सशक्त आंदोलन था।
- उन्होंने ब्रिटिश भूमि कानूनों और सामंती शोषण के विरुद्ध मुंडा जनजातियों को एकजुट किया।
- उन्हें धरती आबा ('पृथ्वी के पिता') के नाम से जाना जाता था।
- उन्होंने औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त एक नैतिक एवं स्वशासित समाज की परिकल्पना की थी।
- उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और शोषण के विरुद्ध जन-जागरूकता का प्रसार किया।
- उनके आदर्शों ने जनजातीय समुदायों में आत्मसम्मान, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा अपने अधिकारों के प्रति सजगता की भावना को सुदृढ़ किया।

विरासत

- उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 25 वर्ष की आयु में राँची जेल में वे शहीद हो गए।
- उनका संघर्ष इस सत्य को रेखांकित करता है कि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक जड़ों, सामुदायिक एकजुटता तथा अपने अस्तित्व की रक्षा के संकल्प में निहित होती है।

स्रोत: PIB

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद में भारत पुनः निर्वाचित

संदर्भ

- कतर के दोहा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के पूर्णाधिकारी सम्मेलन के दौरान भारत को 2027–2030 के कार्यकाल के लिए ITU परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में

- **प्रकृति:** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सबसे प्राचीन एजेंसी तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए एक विशिष्ट अभिकरण है।
- **स्थापना:** वर्ष 1865।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

- **सदस्यता:** इसमें 194 सदस्य देश तथा 1,000 से अधिक कंपनियाँ, विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।
  - भारत वर्ष 1869 से इसका सदस्य रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाला पूर्णाधिकारी सम्मेलन, ITU का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है तथा यह ITU परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करता है।
- 48 सदस्यीय ITU परिषद इन सम्मेलनों के बीच संगठन के शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। यह ITU की नीतियों एवं निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है तथा संघ की गतिविधियों और कार्यकारी समूहों का पर्यवेक्षण करती है।

स्रोत: AIR

वॉयजर-1

समाचारों में

- वॉयजर-1 पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी तक पहुँचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बन गया है।

एक प्रकाश-दिवस

- यह समय की माप के बजाय दूरी की एक अत्यंत विशाल इकाई है।
- यह उस सटीक दूरी को दर्शाता है, जिसे प्रकाश लगभग 1,86,000 मील (3,00,000 किलोमीटर) प्रति सेकंड की गति से पूरे 24 घंटे में तय करता है।

वॉयजर मिशन

- नासा ने दो वॉयजर अंतरतारकीय मिशन प्रारंभ किए थे—वॉयजर-1 (5 सितंबर, 1977) और वॉयजर-2 (20 अगस्त, 1977)। इन्हें ग्रहों के निकट से गुजरते हुए अध्ययन करने वाले अंतरग्रहीय मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया था।
- दोनों अंतरिक्ष यानों को अलग-अलग मार्गों पर भेजा गया था तथा यात्रा के दौरान वैज्ञानिक आँकड़े एकत्रित करने का दायित्व सौंपा गया था।

उद्देश्य

- वॉयजर मिशनों को बाह्य सौरमंडल का अन्वेषण करने तथा हेलियोपॉज़ का पता लगाने के लिए अभिकल्पित किया गया था। हेलियोपॉज़, हेलियोस्फीयर की सबसे बाहरी सीमा है। हेलियोस्फीयर सूर्य द्वारा निर्मित कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों का एक सुरक्षात्मक क्षेत्र है।
- ग्रहों एवं उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें लेने के लिए कैमरे लगाए गए थे तथा चुंबकीय क्षेत्रों, वायुमंडलों और अन्य ग्रहीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरण भी इनमें मौजूद थे।
- इनका मूल मिशन लगभग चार वर्षों तक चलने के लिए निर्धारित था, लेकिन दोनों वॉयजर अंतरिक्ष यान अपनी निर्धारित कार्य-अवधि से कहीं अधिक समय तक कार्यरत रहे हैं।

उपलब्धियाँ

- **वॉयजर-1:**
  - इस अंतरिक्ष यान ने वॉयजर-2 की तुलना में अधिक तीव्रता से सौरमंडल की सीमा पार की।
  - वर्ष 1990 में वॉयजर-1 ने पृथ्वी की अब तक की सबसे दूर से ली गई तस्वीर प्राप्त की, जिसे प्रतिष्ठित 'पेल ब्लू डॉट' के नाम से जाना जाता है। यह तस्वीर नेपच्यून से आगे किसी भी अन्य मानव-निर्मित वस्तु की तुलना में अधिक दूर तक यात्रा करते हुए ली गई थी।
  - वर्ष 2012 में वॉयजर-1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला मानव-निर्मित अंतरिक्ष यान बना।
  - इसके अवलोकनों से पता चला कि बृहस्पति का वायुमंडल पहले की जानकारी की तुलना में कहीं अधिक अशांत है।
  - इसने बृहस्पति के चारों ओर एक पतली वलय संरचना तथा उसके अनेक चंद्रमाओं का भी पता लगाया।
  - शनि के निकट से गुजरते समय इसने पाँच नए चंद्रमाओं की खोज की तथा उसकी वलय संरचनाओं का निकट से अवलोकन किया।
  - यह सूर्य के सापेक्ष 38,026.79 मील प्रति घंटे (लगभग 17.0 किलोमीटर प्रति सेकंड) की गति से यात्रा कर रहा है।
- **वॉयजर-2:**
  - इस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति और शनि के निकट से उड़ान भरी तथा यूरेनस एवं नेपच्यून के निकट से गुजरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बना।
  - वॉयजर-2 अब तक यूरेनस और नेपच्यून का दौरा करने वाला प्रथम और एकमात्र अंतरिक्ष यान है।
  - इसने वर्ष 2018 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। इसने यूरेनस के चारों ओर 10 नए चंद्रमाओं तथा दो नए वलयों की खोज की।
  - यद्यपि वॉयजर-2 को पहले प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन इसका अलग मार्ग होने के कारण इस उपलब्धि तक पहुँचने में इसे अधिक समय लगेगा।

क्या आप जानते हैं?

- डीप स्पेस नेटवर्क अंतरग्रहीय संचार की आधारशिला है।
- यह एक संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क है, जिसमें रेडियो एंटेनाओं का समूह शामिल है। इनमें अति-संवेदनशील ग्राही प्रणालियों से युक्त बड़ी परवलयिक डिश एंटेनाएँ होती हैं, जिन्हें अत्यंत क्षीण रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए अनुकूलित किया जाता है।
  - ऐसे संकेतों का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान है।
- इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। यह रणनीतिक रूप से तीन महाद्वीपों में स्थापित है—अमेरिका के कैलिफोर्निया, स्पेन के मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में।
  - इसका उद्देश्य पृथ्वी के घूर्णन के बावजूद अंतरिक्ष यानों के साथ निरंतर संचार बनाए रखना है।
- यह नेटवर्क सामूहिक रूप से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे अंतरिक्ष यानों को निर्देश भेजता है तथा उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है।

स्रोत: TH

अर्थशॉट पुरस्कार 2026

संदर्भ

- अर्थशॉट पुरस्कार 2026 समारोह में प्रिंस विलियम ने भारत के जलवायु समाधानों की सराहना करते हुए उन्हें वैश्विक प्रेरणा बताया।

अर्थशॉट पुरस्कार के बारे में

- अर्थशॉट पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में प्रिंस विलियम द्वारा वर्ष 2030 तक पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए नवोन्मेषी समाधानों की पहचान करने और उनका व्यापक स्तर पर विस्तार करने के उद्देश्य से की गई थी।
- प्रत्येक वर्ष पर्यावरण से संबंधित पाँच श्रेणियों में पाँच विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रत्येक विजेता को 10 लाख पाउंड की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2026 के विजेता

- **महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी:** इसे 'स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना' श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। कंपनी ने इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों को किफायती बनाकर स्वच्छ शहरी परिवहन को गति देने में योगदान दिया है।
- **भूटान:** इसे 'प्रकृति का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- **नियू ओशन वाइड ट्रस्ट :** इसे 'महासागरों का पुनरुद्धार' श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। इसने यूनाइटेड किंगडम से भी बड़े समुद्री क्षेत्र के संरक्षण में योगदान दिया है।
- **पीएफएएस-फ्री फ्रांस :** इसे 'अपशिष्ट-मुक्त विश्व का निर्माण' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसने उपभोक्ता उत्पादों में विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वालों को सफाई की लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु एक राष्ट्रीय, बहुदलीय आंदोलन का निर्माण किया है।
- **ऑर्स्टेड :** डेनमार्क की इस कंपनी को 'जलवायु संकट का समाधान' श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। कंपनी ने अपने व्यवसाय को नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाया है तथा अपने प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन में 98% से अधिक की कमी की है।

स्रोत: DD News

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस

संदर्भ

- भारत में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका 9वाँ संस्करण कर्नाटक के नागमंगला में 'प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत' विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया।

प्राकृतिक चिकित्सा क्या है?

- प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल की एक औषधि-मुक्त पद्धति है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर में स्वयं को स्वस्थ करने की क्षमता होती है।
- यह प्राकृतिक उपचारों, आहार संबंधी प्रथाओं तथा जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देती है।
- यह प्रकृति के पाँच तत्त्वों—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश (पंचमहाभूत)—पर आधारित है।

18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है?

- आयुष मंत्रालय ने भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता देने तथा इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित किया था।
- यह तिथि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में महात्मा गांधी के योगदान की स्मृति में मनाई जाती है। 18 नवंबर, 1945 को वे पुणे स्थित अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे तथा उन्होंने इसके विलेख पर हस्ताक्षर किए थे।

स्रोत: PIB

■■■